





बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७



कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: -२०७७/०३/०९ गते

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति: -२०७७/०३/१० गते



बर्दघाट नगरपालिका

नाम थर: धीरज शर्मा बस्याल

पद: प्रमुख

प्रमाणिकरण मिति: २०७७/०३/१२

बर्दघाट नगरपालिकाको

आर्थिक ऐन, २०७७

बर्दघाट नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बर्दघाट नगरपालिकाको नगर सभा बाट यो ऐन पारित भएको छ ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “आर्थिक ऐन,२०७७” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर:

(१) नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम सम्पत्ति कर तथा घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । सम्पत्ति कर लगाउदा घर र घरले चर्चेको जग्गा र अधिकतम सोही बराबरको थप जग्गा समेतमा सम्पत्ति कर लगाइनेछ ।

(२) चालु आर्थिक वर्षमा तोकिए बमोजिमको सम्पत्ती कर नबुझाउनेहरुको हकमा पहिलो वर्ष १० प्रतिशत र क्रमस ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना बृद्धि हुदै जानेछ ।

(३) चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म सम्पत्ती कर बुझाउने कर दातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । साथै कोभिड-१९ को कारण गत आ.व.०७६।०७७ को कर दाखिला गर्न नपाउनेहरुको हकमा चालु वर्षको ६ महिना सम्म कर बुझाउदा नियमानुसार लिइने जरिवानामा छुट दिइनेछ ।

(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकाय, गुठीको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिती, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थाको घर र घर जग्गा, धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदीको) घर घरजग्गा, खानेपानी संकलन पोखरी, विद्युत गृह, मसान घाट, कब्रिस्तान, कर्वल्ला मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु, राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गाका हकमा सम्पत्ती कर लगाईने छैन ।

३. मालपोत (भूमी कर):

(१) दफा २ बमोजिम सम्पत्ती कर लगाईसके पछि बाँकी रहेको जग्गालाई अनुसूची (२) अनुसारको दररेटमा मुल्याङ्कन गरी भूमिकर (मालपोत कर) लगाइने छ ।

(२) चालु आर्थिक वर्षमा तोकिए बमोजिमको भूमी कर नबुझाउनेहरुको हकमा पहिलो वर्षमा १० प्रतिशत र क्रमस ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना बृद्धि हुदै जानेछ ।

(३) चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म भुमी कर बुझाउने कर दातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । साथै कोभिड-१९ को कारण गत आ.व.०७६।०७७ को कर दाखिला गर्न नपाउनेहरुको हकमा चालु वर्षको ६ महिना सम्म कर बुझाउदा नियमानुसार लिइने जरिवानामा छुट दिइनेछ । विशुद्ध कृषि पेशामा जिवन निर्वाह गर्ने कृषकहरुलाई यस सम्बन्धी कार्यविधी तर्जुमा गरी सोको आधारमा वितरीत परिचयपत्र बमोजिम भुमिकर मिनाहा गरिनेछ ।

(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकाय, गुठीको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिती, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थाको घर र घर जग्गा, धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदीको) घर घरजग्गा, खानेपानी संकलन पोखरी, विद्युत गृह, मसान घाट, कब्रिस्तान, कर्बल्ला मजार, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु, राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गाका हकमा सम्पत्ती कर लगाइने छैन ।

४. घर बहाल कर: नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ ।

५. व्यावसाय कर: (१) नगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यावसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यावसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । चालु आ.व.मा व्यावसाय दर्ता गर्ने व्यावसायीलाई एक पटकको लागि जहिले देखी व्यावसाय गरेको भएता पनि गत विगत वर्षहरुको व्यावसाय कर छुट दिइ चालु आ.व.को मात्र कर लिई दर्ता गरिनेछ ।

६.जडिवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरेबापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

७.सवारी साधन कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । :

८. विज्ञापन कर: नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

९. बहाल विरौटी शुल्क : नगरपालिका क्षेत्र भित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाटबजार, पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि (९) मा उल्लेख भएअनुसार बहाल विरौटी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ

१०. पार्किङ्ग शुल्क: नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेको बसपार्कमा कुनै पनि सवारीसाधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएबापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

११. सेवा शुल्क र दस्तुर: नगरपालिकाले निर्माण संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भएअनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

नोट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।

१२. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नगरपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-१
(दफा २ सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति करको दर

क) सम्पत्ति करको दर

| सि.नं. | मूल्याङ्कन रकम रु. | | | सम्पत्तिको दर | |
|--------|--------------------|------|----------------|---------------|---------|
| १. | १ | देखी | १ लाख १० हजार | सम्म | २५/०० |
| २. | १ लाख १० हजार १ | देखि | २ लाख १० हजार | सम्म | ५०/०० |
| ३. | २ लाख १० हजार १ | देखि | ३ लाख १० हजार | सम्म | ७५/०० |
| ४. | ३ लाख १० हजार १ | देखि | ४ लाख १० हजार | सम्म | १००/०० |
| ५. | ४ लाख १० हजार १ | देखि | ५ लाख १० हजार | सम्म | १२५/०० |
| ६. | ५ लाख १० हजार १ | देखि | ६ लाख १० हजार | सम्म | १५०/०० |
| ७. | ६ लाख १० हजार १ | देखि | ७ लाख १० हजार | सम्म | १७५/०० |
| ८. | ७ लाख १० हजार १ | देखि | १० लाख | सम्म | २००/०० |
| ९. | १० लाख १ | देखि | ११ लाख १० हजार | सम्म | २२५/०० |
| १०. | ११ लाख १० हजार १ | देखि | १२ लाख १० हजार | सम्म | २५०/०० |
| ११. | १२ लाख १० हजार १ | देखि | १३ लाख | सम्म | ३००/०० |
| १२. | १३ लाख १ | देखि | १७ लाख १० हजार | सम्म | ३५०/०० |
| १३. | १७ लाख १० हजार १ | देखि | १८ लाख १० हजार | सम्म | ३७५/०० |
| १४. | १८ लाख १० हजार १ | देखि | २० लाख | सम्म | ४००/०० |
| १५. | २० लाख १ | देखि | २१ लाख १० हजार | सम्म | ५००/०० |
| १६. | २१ लाख १० हजार १ | देखि | २३ लाख | सम्म | ६००/०० |
| १७. | २३ लाख १ | देखि | २४ लाख १० हजार | सम्म | ७००/०० |
| १८. | २४ लाख १० हजार १ | देखि | २६ लाख | सम्म | ८००/०० |
| १९. | २६ लाख १ | देखि | २७ लाख १० हजार | सम्म | ९००/०० |
| २०. | २७ लाख १० हजार १ | देखि | ३० लाख | सम्म | १०००/०० |
| २१. | ३० लाख १ | देखि | ३२ लाख १० हजार | सम्म | १२००/०० |
| २२. | ३२ लाख १० हजार १ | देखि | ३७ लाख १० हजार | सम्म | १२५०/०० |
| २३. | ३७ लाख १० हजार १ | देखि | ४० लाख | सम्म | १३५०/०० |
| २४. | ४० लाख १ | देखि | ४२ लाख १० हजार | सम्म | १४००/०० |
| २५. | ४२ लाख १० हजार १ | देखि | ४३ लाख | सम्म | १४५०/०० |
| २६. | ४३ लाख १ | देखि | ४७ लाख १० हजार | सम्म | १५००/०० |
| २७. | ४७ लाख १० हजार १ | देखि | ५० लाख | सम्म | १६००/०० |
| २८. | ५० लाख १ | देखि | ५५ लाख | सम्म | ३५००/०० |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|--------------------|------|---------------------------------|
| २९. | ५५ लाख १ | देखि | ६० लाख | सम्म | ३६००/०० |
| ३०. | ६० लाख १ | देखि | ६१ लाख | सम्म | ३७००/०० |
| ३१. | ६१ लाख १ | देखि | ७० लाख | सम्म | ३८००/०० |
| ३२. | ७० लाख १ | देखि | ७१ लाख | सम्म | ३९००/०० |
| ३३. | ७१ लाख १ | देखि | ८० लाख | सम्म | ४०००/०० |
| ३४. | ८० लाख १ | देखि | ८१ लाख | सम्म | ४१००/०० |
| ३५. | ८१ लाख १ | देखि | ९० लाख | सम्म | ४२००/०० |
| ३६. | ९० लाख १ | देखि | ९१ लाख | सम्म | ४३००/०० |
| ३७. | ९१ लाख १ | देखि | १ करोड | सम्म | ४५००/०० |
| ३८. | १ करोड १ | देखि | १ करोड १० लाख | सम्म | १२०००/०० |
| ३९. | १ करोड १० लाख १ | देखि | १ करोड २० लाख | सम्म | १२५००/०० |
| ४०. | १ करोड २० लाख १ | देखि | १ करोड ३० लाख | सम्म | १३०००/०० |
| ४१. | १ करोड ३० लाख १ | देखि | १ करोड ४० लाख | सम्म | १३५००/०० |
| ४२. | १ करोड ४० लाख १ | देखि | १ करोड ५० लाख | सम्म | १४०००/०० |
| ४३. | १ करोड ५० लाख १ | देखि | १ करोड ७१ लाख | सम्म | १४५००/०० |
| ४४. | १ करोड ७१ लाख १ | देखि | २ करोड | सम्म | १५०००/०० |
| ४५. | २ करोड १ | देखि | २ करोड १० लाख | सम्म | २५०००/०० |
| ४६. | २ करोड १० लाख १ | देखि | ३ करोड | सम्म | २६०००/०० |
| ४७. | ३ करोड १ | देखि | ३ करोड १० लाख | सम्म | २८०००/०० |
| ४८. | ३ करोड १० लाख १ | देखि | ४ करोड | सम्म | ३००००/०० |
| ४९. | ४ करोड १ | देखि | ४ करोड १० लाख | सम्म | ३२०००/०० |
| ५०. | ४ करोड १० लाख १ | देखि | ५ करोड | सम्म | ३५०००/०० |
| ५१. | ५ करोड १ | देखि | माथिको मुल्यांकनमा | | प्रतिहजार=रु. ११- का दरले थप |
| ५२. | बक्यौता असूली (जरिवाना) | | पहिलो वर्ष | | १० प्रतिशत |
| ५३. | दोस्रो वर्षबाट क्रमश (जरिवाना) | | क्रमश | | ५ प्रतिशत थप हुदै जाने |
| ५४. | प्रतिलिपी प्रमाणित | | प्रति रसिद | | रु. १० |

अनुसूची- २
(दफा ३ संग सम्बन्धित)
भूमी कर (मालपोत) को मूल्याङ्कन दर

| सि.नं. | मूल्याङ्कन रकम रु. | | | | सम्पतिको दर |
|--------|--------------------|------|----------------|------|-------------|
| १. | १ | देखी | १ लाख १० हजार | सम्म | २५/०० |
| २. | १ लाख १० हजार १ | देखि | २ लाख १० हजार | सम्म | ५०/०० |
| ३. | २ लाख १० हजार १ | देखि | ३ लाख १० हजार | सम्म | ७५/०० |
| ४. | ३ लाख १० हजार १ | देखि | ४ लाख १० हजार | सम्म | १००/०० |
| ५. | ४ लाख १० हजार १ | देखि | ५ लाख १० हजार | सम्म | १२५/०० |
| ६. | ५ लाख १० हजार १ | देखि | ६ लाख १० हजार | सम्म | १५०/०० |
| ७. | ६ लाख १० हजार १ | देखि | ७ लाख १० हजार | सम्म | १७५/०० |
| ८. | ७ लाख १० हजार १ | देखि | १० लाख | सम्म | २००/०० |
| ९. | १० लाख १ | देखि | ११ लाख १० हजार | सम्म | २२५/०० |
| १०. | ११ लाख १० हजार १ | देखि | १२ लाख १० हजार | सम्म | २५०/०० |
| ११. | १२ लाख १० हजार १ | देखि | १३ लाख | सम्म | ३००/०० |
| १२. | १३ लाख १ | देखि | १७ लाख १० हजार | सम्म | ३५०/०० |
| १३. | १७ लाख १० हजार १ | देखि | १८ लाख १० हजार | सम्म | ३७५/०० |
| १४. | १८ लाख १० हजार १ | देखि | २० लाख | सम्म | ४००/०० |
| १५. | २० लाख १ | देखि | २१ लाख १० हजार | सम्म | ५००/०० |
| १६. | २१ लाख १० हजार १ | देखि | २३ लाख | सम्म | ६००/०० |
| १७. | २३ लाख १ | देखि | २४ लाख १० हजार | सम्म | ७००/०० |
| १८. | २४ लाख १० हजार १ | देखि | २६ लाख | सम्म | ८००/०० |
| १९. | २६ लाख १ | देखि | २७ लाख १० हजार | सम्म | ९००/०० |
| २०. | २७ लाख १० हजार १ | देखि | ३० लाख | सम्म | १०००/०० |
| २१. | ३० लाख १ | देखि | ३२ लाख १० हजार | सम्म | १२००/०० |
| २२. | ३२ लाख १० हजार १ | देखि | ३७ लाख १० हजार | सम्म | १२५०/०० |
| २३. | ३७ लाख १० हजार १ | देखि | ४० लाख | सम्म | १३५०/०० |
| २४. | ४० लाख १ | देखि | ४२ लाख १० हजार | सम्म | १४००/०० |
| २५. | ४२ लाख १० हजार १ | देखि | ४३ लाख | सम्म | १४५०/०० |
| २६. | ४३ लाख १ | देखि | ४७ लाख १० हजार | सम्म | १५००/०० |
| २७. | ४७ लाख १० हजार १ | देखि | ५० लाख | सम्म | १६००/०० |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------|
| २८. | ५० लाख १ | देखि | ५५ लाख | सम्म | ३५००/०० |
| २९. | ५५ लाख १ | देखि | ६० लाख | सम्म | ३६००/०० |
| ३०. | ६० लाख १ | देखि | ६१ लाख | सम्म | ३७००/०० |
| ३१. | ६१ लाख १ | देखि | ७० लाख | सम्म | ३८००/०० |
| ३२. | ७० लाख १ | देखि | ७१ लाख | सम्म | ३९००/०० |
| ३३. | ७१ लाख १ | देखि | ८० लाख | सम्म | ४०००/०० |
| ३४. | ८० लाख १ | देखि | ८१ लाख | सम्म | ४१००/०० |
| ३५. | ८१ लाख १ | देखि | ९० लाख | सम्म | ४२००/०० |
| ३६. | ९० लाख १ | देखि | ९१ लाख | सम्म | ४३००/०० |
| ३७. | ९१ लाख १ | देखि | १ करोड | सम्म | ४५००/०० |
| ३८. | १ करोड १ | देखि | १ करोड १० लाख | सम्म | १२०००/०० |
| ३९. | १ करोड १० लाख १ | देखि | १ करोड २० लाख | सम्म | १२५००/०० |
| ४०. | १ करोड २० लाख १ | देखि | १ करोड ३० लाख | सम्म | १३०००/०० |
| ४१. | १ करोड ३० लाख १ | देखि | १ करोड ४० लाख | सम्म | १३५००/०० |
| ४२. | १ करोड ४० लाख १ | देखि | १ करोड ५० लाख | सम्म | १४०००/०० |
| ४३. | १ करोड ५० लाख १ | देखि | १ करोड ७१ लाख | सम्म | १४५००/०० |
| ४४. | १ करोड ७१ लाख १ | देखि | २ करोड | सम्म | १५०००/०० |
| ४५. | २ करोड १ | देखि | २ करोड १० लाख | सम्म | २५०००/०० |
| ४६. | २ करोड १० लाख १ | देखि | ३ करोड | सम्म | २६०००/०० |
| ४७. | ३ करोड १ | देखि | ३ करोड १० लाख | सम्म | २८०००/०० |
| ४८. | ३ करोड १० लाख १ | देखि | ४ करोड | सम्म | ३००००/०० |
| ४९. | ४ करोड १ | देखि | ४ करोड १० लाख | सम्म | ३२०००/०० |
| ५०. | ४ करोड १० लाख १ | देखि | ५ करोड | सम्म | ३५०००/०० |
| ५१. | ५ करोड १ | देखि | माथिको मुल्यांकनमा | | प्रतिहजार रु. १।- का दरले थप |
| ५२. | बक्यौता असूली (जरिवाना) | | पहिलो वर्ष | | १० प्रतिशत |
| ५३. | दोस्रो वर्षबाट क्रमश (जरिवाना) | | क्रमश | | ५ प्रतिशत थप हुदै जाने |
| ५४. | प्रतिलिपी प्रमाणित | | प्रति रसिद | | रु. १० |

माथी उल्लेखित अनूसूची १ र २ को लागी आवश्यक दररेट

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक माकर गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|---|--|-----------------|
| १ | ४ ग,घ | राजमार्गको दायाँ बायाँका कित्ताहरु | २९,४४,५००। |
| २ | ४क | राजमार्गको दायाँ बायाँका कित्ताहरु | १८,८५,५००। |
| ३ | २ग,४थ,द | राजमार्गको दायाँ बायाँका कित्ताहरु | १८,८५,५००। |
| ४ | ४ग,घ | राजमार्ग देखी उत्तर दक्षिणका बाटामा | १२,०२,५००। |
| ५ | २ग,४थ | राजमार्ग देखी उत्तर दक्षिणका बाटामा | ८,५८,०००। |
| ६ | २ग,घ,छ,ज | दिवयज्योती उमावी मार्ग दायाँ बायाँ र चिसापनी मभौनी कालोपत्रे सडक | ११,०५,०००। |
| ७ | ४ ग | शिवनगर कोलनी | १६,९०,०००। |
| ८ | १ क,घ,छ, ६ | बर्दघाट त्रिवेणी सडक दायाँ बायाँ | १३,००,०००। |
| ९ | ७क,घ,४त,द,थ,द,भ,त्र,घ,क, ग,१ग,२ग,७क,घ,६घ,९घ,ड,च | अन्तर्गतका शाखा बाटाहरुका जग्गाहरुको(अन्य शाखा र प्लानिङ समेत) | ५,२०,०००। |
| १० | ४त | बर्दघाट त्रिवेणी सडकबाट पश्चिम गएका शाखा बाटामा | ५,२०,०००। |
| ११ | २ ग,घ,छ,ज, ४त,४घ,ग,थ,१क | भित्रीबाटामा दाँबायाँका जग्गा | २,१४,५००। |
| १२ | १ देखी ९ | अन्य भित्रीबाटामा दाँबायाँका जग्गा | १,३०,०००। |
| १३ | १ देखी ९ | अन्य खेती योग्य जग्गाहरु | १,००,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक पञ्चनगर गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर (प्रति कठ्ठा) |
|--------|------------|--|------------------|
| १ | २क | राजमार्ग (भूताहा चोकबाट पूर्व पश्चिम ७०० मिटर सम्मका जग्गा | १५,००,०००। |
| २ | २क,ख,३ग,ड | राजमार्गको दायाँबायाँका जग्गाहरु(७०० मिटर सम्मका जग्गा) | १२,००,०००। |
| ३ | २क,ख,३ग, ड | अन्तर्गत राजमार्गबाट उत्तर दक्षिण गएका शाखा बाटोहरुका जग्गाहरु | ६,००,०००। |
| ४ | २क,ख,३ग, ड | भूताहा महेशपुर सडकको दायाँबायाँ पर्ने जग्गाहरु | ४,५०,०००। |
| ५ | २क,ख,३ग, ड | अन्य शाखा बाटोमा पर्ने जग्गाहरु | ३,७०,०००। |
| ६ | १ देखी ९ | भित्री बाटोका जग्गाहरु | १,३०,०००। |
| ७ | १ देखी ९ | अन्य खेती योग्य जग्गाहरु | १,००,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक दाउन्नेदेवी गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|-----------|--|-----------------|
| १ | ९क,ख,ग | बर्दघाट त्रिवेणी सडकको दायाँबायाँ | १०,००,०००। |
| २ | ९क,१क | गौतमबुद्ध आवाशका जग्गा | ५,२०,०००। |
| ३ | २क,ख,४ख,छ | माकर बाढिपिडित पाल्डाँडा बरुवा बाटो दायाँ | ३,१५,०००। |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|
| | | बायाँको जग्गा | |
| ४ | क,ख,७ख,२ग | अर्न्तगत शाखा क्षेत्रका घडेरी जग्गा | १,२५,०००। |
| ५ | १ देखी ९ | भित्रीबाटोका दाँया बायाँका जग्गा | ८०,०००। |
| ६ | १ देखी ९ | खेती योग्य जग्गाहरु | ७०,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक जहदा गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|-------------|--|-----------------|
| १ | ७क,ख,ग ढक,ख | हुलाकी सडक र भटौलिया बजार क्षेत्रको दायाँ बायाँको जग्गाहरु | ५,२०,०००। |
| २ | ७क,ख,ग ढक,ख | अर्न्तगत शाखा बाटाका दायाँ बायाँका जग्गा | २,६०,०००। |
| ३ | | पञ्चनगर (भूताहा महेशपुर बाटाका दाँया बायाँका जग्गा | २,५०,०००। |
| ४ | १ देखी ९ | भित्री बाटोको दायाँ बायाँका जग्गा | १,००,०००। |
| ५ | १ देखी ९ | खेती योग्य जग्गाहरु | ८०,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक जमूनिया गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|-----------|--|-----------------|
| १ | १ | गोपीगञ्ज पश्चिम भिठ्ठा जाने बाटो र सेमरी बजार पूर्वको बाटोको जग्गा | ६,८९,०००। |
| २ | ८ | गोपिगञ्ज दक्षिण प्रतापपुर जाने पक्की सडकको दायाँबायाँ | ९,३६,०००। |
| ३ | ८ | नेपाली नहर चोक उत्तर नारायण चोकसम्मको सडक दायाँबायाँ | ११,००,०००। |
| ४ | १ देखी ९ | हुलाकी सडकको दायाँ बायाँको जग्गा | ४,३०,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक रुपौलिया गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|-----------|---|-----------------|
| १ | १ र २ | भित्री बाटोका दाँबायाँ | ८०,०००। |
| २ | १ र २ | भित्री योग्य जग्गा | ६०,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक बिनमणिपुर गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर(प्रति कठ्ठा) |
|--------|-----------|--|-----------------|
| १ | | बाटो भएका जग्गाहरु | १,८०,०००। |
| २ | | अन्य भित्री बाटोका जग्गाहरु | १,२५,०००। |
| ३ | | बाटो नभएको भिट तर्फ | ४०,०००। |
| ४ | | बाटो नभएको धनहर तर्फ | ६०,०००। |

| सि.नं. | नक्सा नं. | साविक धुर्कोट गा.वि.स. हाल बर्दघाट नगरपालिका | दर (प्रति कठ्ठा) |
|--------|-----------|--|------------------|
| १ | | बाटो भएका जग्गाहरु | १,८०,०००। |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|
| २ | | अन्य भित्रि बाटोका जग्गाहरु | १,००,०००। |
| ३ | | बाटो नभएको भिट तर्फ | ५०,०००। |
| ४ | | बाटो नभएको धनहर तर्फ | ६०,०००। |

अनूसुची १ र २ को जग्गाको दुई खण्ड मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जग्गाको दोस्रो खण्ड लाई २,१४,५०० ।
खण्ड क भन्नाले सुरुको दुई कट्टा (०-२-०) बुझिने छ।

खण्ड ख भन्नाले दुई कट्टा (०-२-०) भन्दा माथीको जग्गाको क्षेत्रफललाई बुझिने छ ।

ख) भौतिक संरचनाको प्रकार र वार्षिक करको दररेट:

भौतिक संरचनाको हकमा

| सि.नं. | विवरण | वडा नं. | किसिम | | |
|---|---|---------------|-------|-----------|------|
| | | | पक्क | अर्ध पक्क | कच्च |
| १. | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र लोकमार्गको दायाँ वायाँ | २,४,९,१०, ११ | १००० | ७०० | ५०० |
| २. | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र त्रीवेणी सडकको दायाँ वायाँ, लोकमार्ग देखी उत्तर दक्षिण गएका कालोपत्रे शाखा बाटोहरुमा पर्ने | ४ | ९०० | ६०० | २०० |
| ३. | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र त्रीवेणी सडकको दायाँ वायाँ, , | ५,६,७,९, | ८०० | ५०० | २५० |
| ४ | आवासिय तथा व्यापारिक कालोपत्रे सडक | ४ | ७५० | ४५० | २५० |
| ४. | लोक मार्गदेखि दक्षिण तर्फ जाने आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रका चिसापानी-मभौनी सडकहरुको दायाँ वायाँ, हुलाकी सडक, महेशपुर भुताहा सडक | २,१२,१३,५, ९ | ७०० | ४०० | २५० |
| ५. | लोक मार्गदेखि दक्षिण तर्फ जाने आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रकाचिसापानी-मभौनी सडक सडकहरुको दायाँ वायाँ, चौपत्ता देखी १२ नं. जाने बाटो, बाढी पिडीत बरुवा सडक, महेशपुर भुताहा सडक | ३,८,११,१२, १६ | ६०० | ३०० | २०० |
| ६. | लोक मार्गदेखि दक्षिण तर्फ जाने आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रका पञ्चनगर-महेशपुर सडक सडकहरुको दायाँ वायाँ | ८,९,११ | ५०० | ३०० | २०० |
| ८. | लोक-मार्गदेखि उत्तर र दक्षिण तर्फ जाने शाखा कालोपत्रे सडकहरुका घरहरु | २,१०,११,९ | ५०० | ३०० | २०० |
| ९. | आवासीय शाखा बाटोका दायाँ वायाँ (प्लटिङ्ग) का | १ देखी १६ | ४५० | २५० | २०० |
| १०. | कृषि सडकका दायाँ वायाँका घरहरु | १ देखी १६ | ४०० | २५० | २०० |
| १२. | अन्य जग्गामा निर्माण भएको घरको हकमा | १ देखी १६ | ३५० | २५० | २०० |
| (उद्योग कलकारखानाको हकमा) कम्पाउण्डको हकमा | | | | | |
| १३. | क) पक्की कम्पाउण्ड | १ देखी १६ | २०० | १७५ | १५० |

ग) हास कट्टिको हकमा (सम्पत्ति करको हकमा)

| संरचनाको किसिम | प्रतिवर्ष/हास कट्टी दर | हासकट्टी वर्ष |
|---|------------------------|---------------|
| १ RCC फ्रेम स्टक्चर | १.३५% | ६० वर्ष |
| २ माटोको जोडाई RCC छाना वा सिमेन्टको जोडाई र जस्ताको छाना | २ % | ४० वर्ष |
| ३ माटोको जोडाई जस्ता/टायलको छाना | २.७% | ३० वर्ष |
| ४ ढुंगा वा इटाको पर्खालबाट बनेको घर | ३.२% | २५ वर्ष |
| ५ अस्थायी कच्ची घर | ४% | २० वर्ष |

अनुसूची-३
(दफा ४ संग सम्बन्धित)
घर बहाल करको दर

नगरपालिका क्षेत्र भिका घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, शेड, छप्पर, कारखाना जग्गा वा पोखरी पुरै वा आशिकं रूपमा बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर असुल गरिनेछ । क्षेत्रअनुसारको न्युनतम दर तपसिलमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । कर असुली गर्ने प्रयोजनको लागि तपसिल बमोजिमको न्युनतम रेट कायम गरी कर असुल उपर गरिनेछ ।

| क्र.सं | राजश्वका क्षेत्रहरु | न्युनतम दर | कै. |
|--------|---|------------|-----|
| १. | व्यावसायिक घर बहाल करको लागि मूल्यांकन | | |
| | क) लोकमार्ग संग जोडिएको घर (प्रति सटर) | ३०००।०० | |
| | ख) लोकमार्ग संग जोडिएको आवासीय घर(प्रति कोठा) | ५००।०० | |
| २. | क) वडा नं ४ को बजार क्षेत्र र त्रीवेणि सडक संग जोडिएको घर (प्रति सटर) | २०००।०० | |
| | ख) वडा नं ४ को बजार क्षेत्र र त्रीवेणि सडक संग जोडिएको आवासीय घर | ५००।०० | |
| ३ | क) भूताहा महेशपुर, चासापानी मभौनी र हुलाकी सडक प्रति सटर | १५००।०० | |
| | ख) भूताहा महेशपुर, चासापानी मभौनी र हुलाकी सडक आवासीय घर प्रति कोठा | ५००।०० | |
| ४ | क) अन्य शाखा बाटाका प्रति सटर | १०००।०० | |
| | ख) अन्य शाखा बाटोको प्रति कोठा | ५००।०० | |

अनुसूची-४
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)
व्यवसाय करको दर

संघिय र प्रदेश कानून बमोजिम दर्ता भएका व्यावसायहरुको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा सूचिकृत हुने विभिन्न किसिमका व्यवसाय सूचिकृत तथा नविकरण गर्दा लिने दस्तुर रकम :-

| क्र.सं. | | क श्रेणी | ख श्रेणी | ग श्रेणी | कै. |
|---------|--|-------------|-------------------------|------------------------|-----|
| १. | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्दा कायम गरेको स्थीर पूँजीका आधारमा | २० लाख माथि | १० लाख देखि २० लाख सम्म | १ लाख देखि १० लाख सम्म | |

| क्र.सं | राजश्वका क्षेत्रहरु | आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दर | कै. |
|--------|--|----------------------------|-----|
| १. | व्यवसाय कर | | |
| | बर्दघाट न.पा.क्षेत्र भित्रका निम्न किसिमका व्यवसाय गर्ने व्यापारी वा व्यवसायीले आफूलाई लागेको कर ऐन नियमानुसार वार्षिक रुपमा कर बुझाउनु पर्नेछ । | | |
| | निम्न किसिमका व्यापार व्यवसायमा निम्न बमोजिम वार्षिक कर लिईनेछ । | | |
| १.१ | मदिरा पसल | | |
| | क. वितरक | ५०००। | |
| | ख. थोक विक्रेता | ४०००।- | |
| | ग. खुद्रा विक्रेता | ३०००।- | |
| १.२ | सूर्तिजन्य | | |
| | क. वितरक | १००००।- | |
| | ख. थोक विक्रेता | ५०००।- | |
| | ग. खुद्रा विक्रेता | ३०००।- | |
| १.३ | हल्का पेयपदार्थ | | |
| | क. वितरक | २०००।- | |
| | ख. थोक विक्रेता | १५००।- | |
| | ग. खुद्रा विक्रेता | १०००।- | |
| १.४ | सुनचाँदी पसल | | |
| | क. ठूला | ७०००।- | |
| | ख. मझौला | ५०००।- | |
| | ग. साना | ३०००।- | |
| १.५ | औषधि पसल | | |
| | क. उत्पादक | ५०००।- | |
| | ख. वितरक थोक | २०००।- | |
| | ग. खुद्रा पसल | १५००।- | |

| | | | |
|------|--|--------|--|
| १.६ | आयुर्वेदिक औषधी | | |
| | क. उत्पादक | ३०००१- | |
| | ख. वितरक | १५००१- | |
| | ग. खुद्रा | १०००१- | |
| १.७ | एग्रोभेट पसल | | |
| | क. थोक कृषि जन्य वीउ विजन औषधी तथा अन्य सामाग्री | १५००१- | |
| | ख. खुद्रा कृषि जन्य विउ विजन मात्र | १०००१- | |
| १.८ | स्टेशनरी पसल | | |
| | क. थोक बिकेता | २०००१- | |
| | ख. खुद्रा पसल | १५००१- | |
| | ग. मुद्रण सामाग्री पसल | १५००१- | |
| | घ. कापी पसल | १०००१- | |
| १.९ | कस्मेटिक पसल | | |
| | क. थोक | २५००१- | |
| | ख. खुद्रा | १५००१- | |
| | मोटर पार्टस तथा बोडि विल्डर्स सामाग्री | | |
| १.१० | लुब्रिकेशन सेक्सन तर्फ | | |
| | क. थोक | ३०००१- | |
| | ख. खुद्रा | १५००१- | |
| १.११ | पलाई तथा ग्लास हाउस | | |
| | क. थोक | ३५००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.१२ | कपडा तथा फेन्सी पसल | | |
| | क. थोक | ३५००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.१३ | व्याग हाउस | | |
| | क. थोक | ३५००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.१४ | धागो, टाक, चुडि श्रींगार पुजा सामाग्री पसल | | |
| | क. थोक | ३०००१- | |
| | ख. खुद्रा | १५००१- | |
| १.१५ | ईलेक्ट्रोनिक पसल | | |
| | क. थोक | ४०००१- | |
| | ख. खुद्रा | २५००१- | |
| | ग. घडी रेडियो आदि | १०००१- | |
| १.१६ | विद्युत सामाग्री पसल | | |
| | क. थोक | ४०००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.१७ | हार्डवेयर/मेशीनरी/पेन्टस/सेनेटरी/मार्बल पसल | | |
| | क. छड सिमेन्ट सहित | ५०००१- | |
| | ख. छड सिमेन्ट बाहेक | ३०००१- | |
| १.१८ | पेट्रोलियम पदार्थ | | |

| | | | |
|------|--|-------------------|--|
| | क. पेट्रोल पम्प | ५०००१- | |
| | ख. मट्टितेल मात्र विक्रि | १०००१- | |
| | ग. ग्यास सिलिण्डर डिष्ट्रिब्युटर्स | ३०००१- | |
| | घ. ग्यास सिलिण्डर खुद्रा डिलर | १०००१- | |
| १.१९ | स्टील आल्मुनियम पसल | | |
| | क. थोक | ५०००१- | |
| | ख. खुद्रा | ३०००१- | |
| १.२० | फर्निशर्स पसल | | |
| | क. थोक | ३०००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.२१ | सवारी साधन एजेन्सी तथा विक्रि पसल | | |
| | क. बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, जीप, कार, भ्यान डिलर | १००००१- | |
| | ख. १. मोटरसाईकल तथा अन्य सवारी साधनको डिलर स्वदेशी २. मोटरसाईकल तथा अन्य सवारी साधनको डिलर विदेशी | ५०००१- १००००१- | |
| | ग. साईकल डिलर | २०००१- | |
| | घ. रिक्विडसन हाउस | १५००१- | |
| | ड. टायर डिलर | २५००१- | |
| | च. पम्प सेट जेनेटर डिलर | १५००१- | |
| | छ. विविध विषयका सामान सप्लायर्स तथा एजेन्सीहरु | १५००१- | |
| १.२२ | दैनिक उपभोग्य वस्तु | | |
| | क. खाद्यान्न सप्लायर्स तथा किराना | ३०००१- | |
| | ख. खाद्यान्न किराना खुद्रा | १५००१- | |
| | ग. साना किराना पसल | १०००१- | |
| | घ. आलु पियाज लसुन थोक | १५००१- | |
| १.२३ | फलफुल पसल | | |
| | क. थोक | २५००१- | |
| | ख. खुद्रा | १०००१- | |
| १.२४ | हरियो तरकारी पसल | | |
| | क. थोक | १५००१- | |
| | ख. खुद्रा | १०००१- | |
| १.२५ | कपडा पसल | | |
| | क. थोक | ५०००१- | |
| | ख. खुद्रा | २०००१- | |
| १.२६ | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा | | |
| | क. चिकित्सक कन्सल्टेन्ट | २५००१ | |
| | ख. मेडिकल अफिसर (एम.वि.वि.एस वा सो सरह) | १५००१ | |
| | ग. मेडिकल (कविराज, हे.अ., अनमि, अहेव) | १०००१ | |
| | घ. ईन्जिनियरिंग फर्म परामर्श सेवा | २०००१ | |
| | ड. कानून व्यवसायी | १०००१ | |
| | च. ल फर्म तथा कानून परामर्श सेवा | २०००१ | |

| | | | |
|-------------|---|---------|--|
| | छ. लेखा परिक्षण व्यवसाय | २०००१ | |
| | ज. अन्य | २०००१ | |
| | त्र. दन्त चिकित्सक | २०००१ | |
| | ट. डेन्टल होम सेवा | २०००१ | |
| १.२७ | अनुसन्धान कर्ता परामर्श दाता | | |
| | क. अनुसन्धान कर्ता | १५००१ | |
| | ख. कम्प्यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर | १०००१ | |
| | ग. विमा एजेन्ट | १०००१ | |
| | घ. सभेयर | १५००१ | |
| | ड. पशु चिकित्सक | १५००१ | |
| | च. ढुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट | १०००१ | |
| १.२८ | निर्माण व्यवसाय अनुमतिपत्र र नविकरण | | |
| | क वर्ग निर्माण व्यवसाय नविकरण | १५०००१ | |
| | ख वर्ग निर्माण व्यवसाय नविकरण | १००००१ | |
| | ग वर्ग निर्माण व्यवसाय नविकरण | ७०००१ | |
| | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय ईजाजत पत्र | २००००१ | |
| | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय नविकरण | ५०००१ | |
| | घ वर्गको प्रतिलिपि जारी | १५००१ | |
| | विदेशी निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता | १००००१ | |
| १.२९ | निर्माण / सटरिङ्ग व्यावसायी | | |
| | क. मिक्सचर र सटरिङ्ग सामान भएको | ५०००१- | |
| | ख. सटरिङ्ग सामान भएको मात्र | ३०००१- | |
| १.३० | सरसफाइ तथा प्लम्बिङ्ग | | |
| | क. सेनेटरी सेवा | २०००१- | |
| | ख. प्लम्बिङ्ग सेवा | १०००१- | |
| १.३१ | उत्पादन मुलक उद्योग | | |
| | क. प्लाष्टिक / फाईबर उद्योग | | |
| | १. ठूलो उद्योग | २००००१ | |
| | २. मझौला उद्योग | १००००१ | |
| | ३. घरेलु तथा साना उद्योग | ३०००१ | |
| | ४. कुटिर उद्योग | ५००१ | |
| | ख. स्टिल आल्मुनियम/ग्रिल उद्योग / यु.पी.भि.सी | ३०००१- | |
| | ग. फलामको ग्रिल उद्योग | ३०००१- | |
| | घ पशु आहार उद्योग | ३०००१- | |
| | ड. पशु आहार विक्रि केन्द्र | ३०००१ | |
| | च. घरेलु कुटिर उद्योग | ५००१- | |
| | छ. अगरवत्ति, मैनवत्ति, टिकि अचार तथा अन्य कुटिर | ५००१ | |
| | ज. सिरक डसना विक्रि पसल | ५००१ | |
| | झ. जुत्ता सो रुम तथा मर्मत | २०००१ | |
| | ईट्टा उद्योग | | |
| | फिक्स चिमनी सहित | ७५०००१- | |
| | रोटेट चिमनी सहित | १००००१- | |

| | | | |
|------|--|--------|--|
| | चिम्नी नभएको | २५०००१ | |
| १.३२ | पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग | | |
| | क. पानी उद्योग | ३०००१ | |
| | ख. पिउने पानी सप्लायर्स | ३०००१ | |
| | ग. आईस बरफ उद्योग | ३०००१ | |
| | घ. आइसक्रिम उद्योग | ३०००१ | |
| १.३३ | भाडा उद्योग | | |
| | क. कास, तामा, पित्तलका भाडा उद्योग | ३०००१ | |
| | ख. आल्मुनियम भाडा उद्योग | ३०००१ | |
| | ग. प्लाष्टिक भाडा उद्योग | ३०००१ | |
| | घ. टिनको वाकस, वाल्टि उद्योग | ३०००१ | |
| १.३४ | कुटानी /पिसानी/पेलानी | | |
| | क. फ्लोवर, सेलर मिल ठूलो | ५०००१ | |
| | ख. सेलर मिल सानो | ३०००१ | |
| | ग. कुटानी/पिसानी/पेलानी मिल | २५००१ | |
| | घ. चिउरा मिल | २५००१ | |
| | ङ जिल्ला बाहिर निकासी हुने ठूला चिउरा उद्योग | १०००१ | |
| | च. मसला उद्योग | १५००१ | |
| १.३५ | डेरी उद्योग | | |
| | क. डेरी उद्योग तथा विक्रि पसल | ३०००१ | |
| | ख. डेरी विक्रि पसल | १५००१ | |
| १.३६ | उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग साना | | |
| | क. कुकिज, पाउरोटि, नुडल्स उद्योग | ३०००१ | |
| | ख. कन्फेक्सनरि उद्योग | ३०००१ | |
| | ग. विस्कूट उद्योग | ३०००१ | |
| | घ. दालमोठ उद्योग | ३०००१ | |
| १.३७ | रिसाइकिलीङ्ग उद्योग | | |
| | क. फलाम कृषि औजार उद्योग | ३०००१ | |
| | ख. कागज प्लाष्टिक रीसाइक्लिङ्ग उद्योग | २५००१ | |
| १.३८ | ऊर्जा मुलक उद्योग | | |
| | क. वायु ग्यास उद्योग | १००००१ | |
| | ख. सौर्य शक्ति उत्पादन उद्योग | १००००१ | |
| | ग. मर्मत संभार पार्ट उद्योग | ५०००१ | |
| १.३९ | कृषि तथा वन जन्य उद्योग | | |
| | क. स-मिल प्लाईउड उद्योग | १००००१ | |
| | ख. काठ विक्रि डिपो | ५०००१ | |
| | ग. काठको फर्निचर उद्योग र सो रुम | ३०००१ | |
| | घ. वेत(वाँस) तथा व्याम्बो सो रुम | १५००१ | |
| १.४० | कक्रिट उद्योग | | |
| | क. कक्रिट उद्योग | ३०००१ | |
| | ख. सेनेटरी उद्योग | २५००१ | |
| १.४१ | क्रसर उद्योग (खनिज उद्योग) | | |

| | | | |
|-------------|---|----------|--|
| | क. गिट्टि चालने सहित क श्रेणीको डवल प्लाण्ट क्रेशर उद्योग | ४००००१- | |
| | ख. गिट्टि चालने सहित ख श्रेणीको डवल प्लाण्ट क्रेशर उद्योग | २५०००१- | |
| | ग. गिट्टि चालने नभएको डवल प्लाण्ट क्रेशर उद्योग | १००००१- | |
| | घ. गिट्टि वालु चालने मात्र भएको | ५०००१- | |
| | ड. गिट्टि कुट्ने सिंगल प्लाण्ट उद्योग | ५०००१- | |
| | च. गिट्टि वालु विक्रि डिपो | ३०००१- | |
| १.४२ | डिष्टीलरी उद्योग | | |
| | क. डिष्टीलरी उद्योग क वर्ग | ४०,०००१- | |
| | ख. डिष्टीलरी उद्योग ख वर्ग (वोटलिड मात्र) | ३०,०००१- | |
| १.४३ | पर्यटन उद्योग | | |
| | क. होटल, लज तथा रेष्टुरेण्ट (ए.सी. सहितको) | १००००१- | |
| | ख. होटल लज तथा रेष्टुरेण्ट | ५०००१- | |
| | ग. दोहरी साँभ | १००००१ | |
| | घ. पार्टी प्यालेस | १००००१ | |
| | ड. रेष्टुरेण्ट | ३०००१ | |
| | च. भोजनालय | २५००१ | |
| | छ. मिष्ठान क्याटरिङ पसल समेत | ३०००१ | |
| | ज. मिष्ठान्न पसल | २५००१ | |
| | झ. क्याटरिङ | २५००१ | |
| | ञ. चिया कफि पसल | ५००१ | |
| | ट. फाष्ट फुड एण्ड क्याफे | १५००१ | |
| १.४४ | टेन्ट हाउस | | |
| | क. विजुली डेकोरेशन वेनड वाजा सहितको टेन्ट हाउस | १००००१ | |
| | ख. विद्युत डेकोरेशन सहितको टेन्ट हाउस | ५०००१ | |
| | ग. टेन्ट हाउस मात्र | ३५००१ | |
| | घ. साउण्ड सिष्टम ठुलो | २५००१- | |
| | ड. साउण्ड सिष्टम सानो | १५००१- | |
| १.४५ | सेवा उद्योग | | |
| | क. अफसेट प्रेस | ५०००१ | |
| | ख. स्क्रीन प्रिन्ट प्रेस | १५००१ | |
| | ग. लेदर प्रिन्ट प्रेस /फ्ल्याक्स प्रिन्ट | २५००१ | |
| | घ. सिनेमा हल | ५०००१ | |
| | ड. फिल्म डिष्टिब्यूटर्स | ४०००१ | |
| | च. कलर ल्याव सेवा | ३०००१ | |
| | छ. भिडियो मिक्सीङ | २५००१ | |
| | ज. फोटो स्टुडियो | २०००१ | |
| | झ. संस्थागत पेन्टर्स | १५००१- | |
| १.४६ | संचार | | |
| | क. टेलीफोन, टंकल, फ्याक्स, मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी | २०००१ | |
| | ख. टि.भी च्यानल प्रसारण (सामुदायिक) | २०००१ | |
| | ग. केवल च्यानल प्रसारण/टि.भी च्यानल निजी | १००००१ | |

| | | | |
|------|--|---------|--|
| | घ. एफ. एम प्रसारण | १०००१ | |
| | ड. पत्र पत्रिका प्रकाशन सेवा | १०००१ | |
| १.४७ | कम्यूनिकेशन सेवा | | |
| | क. टुर्स एण्ड ट्राभल्स सेवा | २०००१ | |
| | ख. फोटोकपि, पि.सी.ओ, साईवर तथा क्याफे | २०००१ | |
| | ग. कुरियर्स सेवा मुख्य कार्यालय | ३०००१ | |
| | घ. कुरियर्स सेवा शाखा कार्यालय | १५००१ | |
| १.४८ | वित्तिय सेवा -नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु वाहेक | | |
| | क. वाणिज्य बैंक निजी स्तर मुख्य कार्यालय | २१०००१ | |
| | ख. वाणिज्य बैंक प्रति शाखा कार्यालय | १५०००१ | |
| | ग. विकास बैंक मुख्य कार्यालय | १५०००१ | |
| | घ. विकास बैंक प्रति शाखा कार्यालय | १००००१ | |
| | ड. फाईनान्स कम्पनि मुख्य कार्यालय | १५०००१ | |
| | च. फाईनान्स कम्पनी प्रति शाखा कार्यालय | १००००१ | |
| | छ. लघु वित्त कम्पनी | ७०००१ | |
| | ज. विमा कम्पनीहरु | ७०००१ | |
| | झ. मनी ट्रान्सफर/मनी एक्सचेन्जर/(आई.एम.ई) | ३०००१ | |
| | ञ. बचत तथा ऋण सहकारी | ३०००१ | |
| १.४९ | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | | |
| | क. निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम | ३०००१ | |
| | ख. प्याथोलोजी/अक्यूपंचर/फिजियोथेरापी/अक्यूपंचर/फिजिय थेरापी/एक्सरे अल्ट्रासाउण्ड | २०००१ | |
| | ग. पोलीक्लिनिक | ५०००१ | |
| | घ. चश्मा पसल प्राविधिक सहित | २५००१ | |
| | ड. चश्मा पसल | १५००१ | |
| | च. सामुदायिक अस्पताल | १०००१ | |
| १.५० | शिक्षा सेवा | | |
| | क. निजी क्याम्पस तथा उच्च मा.वि (छुट्टै सम्बन्धन) | १००००१ | |
| | ख. निजी मा.वि | १५०००१ | |
| | ग. निजी प्रा.वि/छात्रावास/ मन्टेश्वरी (आधारतूत तह सम्म) | ९०००१ | |
| | घ. पोली टेक्नीकल इन्स्टिच्यूट प्रशिक्षण समेत | १०००१ | |
| | ड. सि. एम. ए/अनमि प्रशिक्षण | १००००१ | |
| | च. एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी सेवा | ४०००१ | |
| | छ. कम्प्यूटर इलेक्ट्रोनिक तालिम | ३०००१ | |
| | ज. सवारी चालक तालिम | २५००१ | |
| | झ. भाषा, शिक्षा, कोचिङ सेन्टर | ३०००१ | |
| | ञ. पूर्व प्राथमिक विद्यालय दर्ता | १००००१- | |
| | ट. कक्षा थप सिफारिस प्रतिकक्षा | १००००१- | |
| | ठ. पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुमति धरौटी | १०००००१ | |
| | ड. हे.अ./स्टाफ नर्स वा सो सरह स्वास्थ्य शिक्षा संचालन | २५०००१ | |
| १.५१ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था | | |

| | | | |
|-------------|---|--------|--|
| | क. अन्तराष्ट्रिय संस्था | ५०००१ | |
| | ख. राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघ संस्था (एक जिल्ला भन्दा बढि कार्य क्षेत्र भएका पनि) | ३०००१ | |
| | संस्था दर्ता तथा नविकरण | | |
| | रु. १ देखि १० हजार सम्म वार्षिक कारोवार भएको संस्था | ५००/- | |
| | रु. १० हजार १ देखि १ लाख सम्म वार्षिक कारोवार भएको संस्था | १०००/- | |
| | रु. १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म वार्षिक कारोवार भएको संस्था | २०००/- | |
| | रु. ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म वार्षिक कारोवार भएको संस्था | ३०००/- | |
| | रु. १० लाख १ भन्दा माथि जतिसुकै वार्षिक कारोवार भएको संस्था | ५०००/- | |
| | सेवा मुलक संस्था जस्तै आमा समूह, क्लव, प्रतिष्ठान वा सो प्रकृतिका | ५०० | |
| १.५२ | मर्मत संभार (कारखाना) | | |
| | क. वोडि वनाउने क श्रेणि | ५०००१ | |
| | ख. वोडि मर्मत गर्ने ख श्रेणि | ३०००१ | |
| | ग. लेथ सेक्सन | २०००१ | |
| | घ. टायर डिलर सो रुम | ५०००१ | |
| | ङ टायर रिसोलिंग | ४०००१ | |
| | च. टायर, ट्युव र पञ्चर मर्मत | १५००१ | |
| | छ. इन्जिन मर्मत | ३०००१ | |
| | ज. डेन्टिङ्ग, पेन्टिङ्ग तथा वेल्डिङ्ग | २०००१ | |
| | झ. पम्प सेक्सन मर्मत | २०००१ | |
| | ञ. ब्याट्री, ईलेक्ट्रीक सेक्सन मर्मत | २०००१ | |
| | ट. वासिड सेक्सन | १०००१ | |
| | ठ. रिक्सा साईकल मर्मत तथा पार्ट सहित विक्रि | १५००१ | |
| | ड. रिक्सा साइकल मर्मत | ५००१ | |
| | ढ. टि. भी, डेग, मोवाईल मर्मत | १५००१ | |
| | ण. रेडियो, घडि, क्याल्कुलेटर मर्मत | १०००१ | |
| | त. मोटरसाईकल मर्मत | २०००१ | |
| | थ. कमानी पट्टा, रेडियटर, ग्रिस, हेड मर्मत | १५००१ | |
| | द. जेनेरेटर, फिज, कम्प्युटर मर्मत | १५००१ | |
| १.५३ | हेभी ईक्यूपमेन्ट | | |
| | क. हेभी ईक्यूपमेन्ट खरिद विक्रि | १००००१ | |
| | ख. अन्य कवाड खरिद विक्रि | ५०००१ | |
| | ग. हेभी इक्यूपमेन्ट भाडामा लगाउने प्रति गोटा | ३०००१ | |
| १.५४ | अन्य सेवा | | |
| | क. वैदेशीक रोजगार सेवा परामर्श दाता | ४०००१ | |
| | ख. वैदेशीक रोजगार परामर्स सेवा शाखा कार्यालय | ३०००१ | |
| | ग. सेवा परामर्स दाता | २०००१ | |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| | घ. श्रमिक सेवा परामर्श दाता | २०००१ | |
| | ड सामान सहित श्रमिक सेवा परामर्श दाता | २०००१ | |
| | च. सेक्रेटेरियल सेवा मात्र | १०००१ | |
| १.५५ | डाई क्लिनिक, सैलुन तथा व्यूटिपार्लर | | |
| | क. व्यूटि पार्लर सेवा, तालिम सहितको | २५००१ | |
| | ख. व्यूटि पार्लर सेवा | १५००१ | |
| | ग. कालिगढ सहितको सैलुन सेवा | १५००१ | |
| | घ. सैलुन सेवा २ सिट सम्मको | १०००१ | |
| | ड डाईक्लिनिक सेवा | २०००१ | |
| १.५६ | साईन बोर्ड आर्ट व्यवसाय | | |
| | क. डिजिटल आर्ट व्यवसाय | ३०००१ | |
| | ख. अन्य आर्ट व्यवसाय | २०००१ | |
| १.५७ | पशु वधशाला | | |
| | क. पशुवधशाला | ३००००१- | |
| | ख. पशुको छाला संकलन तथा विक्रि | २००००१ | |
| १.५८ | माछा मासु विक्रि पसल | | |
| | क. मासु पसल (खसी/रांगा/बंगुर) | ५०००१ | |
| | ख. मासु पसल (कुखुरा/हाँस/आदी) | २५००१- | |
| | ग. माछा पसल | ५००१- | |
| | घ. कुनै एक सेवा सिधा पसल | ५००१ | |
| | ड अण्डा विक्रि पसल | ५००१ | |
| १.५९ | फूल विरुवा पसल | | |
| | क. नर्सरी | १०००१ | |
| | ख. फूल विक्रि | ५००१ | |
| १.६० | स्नुकर तथा पुल हाउस | | |
| | क. स्नुकर तथा पुल हाउस दुवै भएको | १००००१ | |
| | ख. स्नुकर मात्र | १००००१ | |
| | ग. पुल हाउस | १००००१ | |
| | घ. स्नुकर तथा पुल हाउस संचालन धरौटी | २००००१ | |
| १.६१ | भाडा पसल तथा किचन सामग्री | | |
| | क. थोक पसल | ३०००१ | |
| | ख. खुद्रा | १५००१ | |
| १.६२ | खेलौना, गिफ्ट हाउस तथा फोटो फ्रेम पसल(शोरुम) | | |
| | क. खेलौना तथा गिफ्ट पसल | २०००१ | |
| | ख. खेलौना मात्र | १५००१ | |
| | ग. फोटो फ्रेम | १०००१ | |
| १.६३ | सिलाई मेशिन मर्मत तथा सिलाई पसल | | |
| | क. सिलाई पसल सानो-१०००१- | ठुला-३०००१ | ० |
| | ख. सिलाई मेशिन मर्मत | १०००१ | |
| | ग. व्यूटिक ल्याब्रोटरी | १०००१ | |
| १.६४ | संगित कला केन्द्र | १५००१ | |

| | | | |
|------|--|-------------------|--|
| १.६५ | घुमिन्त व्यवसाय गर्ने व्यवसायिको हकमा | | |
| | क. फेन्सी तथा कपडा पसल | ५००१ | |
| | ख. किराना विसाता तथा भाडा पसल | ५००१ | |
| | ग. अन्य प्रकृतिका | ५००१ | |
| १.६६ | माथि उल्लेख नभएका अन्य पेशा व्यवसाय | | |
| | क. डिष्टीव्यूटर्स थोक पसल | ५०००१ | |
| | ख. खुद्रा पसल | ३०००१ | |
| १.६७ | मूल्यांकन सेवा शुल्क : | | |
| | १. आयश्रोत मूल्यांकन सिफारिस शुल्क : | ०.१२ प्रतिशत | |
| १.६८ | बाटो मर्मत, पर्यावरण, संरक्षण तथा सवारी दस्तुर | | |
| | क. केशरको गिट्टि निकासीमा प्रति ट्रिप ६ चक्के, प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | ख. दश चक्के सवारी साधन प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | ग. लोकल निकासी प्रति टिप प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | घ. ट्रयाक्टर प्रति टिप प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | ङ. डनलपमा प्रति टिप प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | च. माटो ढुवानी गर्ने ट्रयाक्टर प्रति ट्रली प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | छ. माटो ढुवानी गर्ने ट्रक प्रति टिप प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| | ज. दश चक्केको ट्रक प्रति घन मिटर | ५०१ | |
| १.६९ | सडक कटान दस्तुर प्रति रनिंग मिटर | | |
| | क. कनेक्सन होल कटान पिच तथा पि.सी.सी मा धरौटी रु २१००१ | लगत स्टमेट वमोजिम | |
| | ख. कनेक्सन होल कटान ग्राभेल तथा कच्चि | लगत स्टमेट वमोजिम | |
| | ग. पिच तथा पि.सी.सी | लगत स्टमेट वमोजिम | |
| | घ. ग्राभेल | लगत स्टमेट वमोजिम | |
| १.७० | पशु/पंक्षि फर्म | | |
| | क) कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा वितरण | ५०००१ | |
| | ख) दाना/अण्डा विक्रि वितरण | ३०००१ | |
| | ग) अण्डा उत्पादन वितरण | ३०००१ | |
| | घ) मासु उत्पादन | १०००१ | |
| | ङ) व्यावसायीक गाई/भैसी/वंगुर/बाखा/तरकारी फर्म/कृषक समूह/कृषक समिति | ४००१ | |
| १.७१ | रासायनिक मल विक्रि फर्म | | |
| | क) नयाँ फर्म दर्ता | १००१ | |
| | ख) नविकरणको लागि म्याद पुग्नु भन्दा ३५ दिन भित्र नविकरण शुल्क | ५०१ | |
| | ग) म्याद पुगेको ३० दिन भित्र नविकरण शुल्क | २००१ | |
| | घ) म्याद पुगेको ३० दिनपछि १ वर्ष सम्म नविकरण शुल्क जरिवाना समेत | ७००१ | |
| | ङ) म्याद पुगेको १ वर्ष १ दिन पछि २ वर्ष सम्म नविकरण शुल्क र जरिवाना समेत | २२००१ | |
| | च) म्याद पुगेको २ वर्ष १ दिन पछि ३ वर्ष सम्म नविकरण | ३२०० | |

| | | | |
|------|--|-------|--|
| | शुल्क | | |
| | छ) त्यस पछि प्रत्येक वर्ष रु १००० को दरले जरिवाना बढ्दै जाने | | |
| १.७२ | खानेपानीको पाइप विस्तार गर्दा पिच कटीङ्ग शुल्क (२ फिट सम्मको चौडाईमा प्रति मिटर) | ५००। | |
| १.७३ | नेपाल टेलिकम/एन्सेल/आई.एस.पी. को टावर जडान तथा नविकरण शुल्क (नोट: स्थानिय एफ्.एम्/टेलिभिजन लगायत अन्य सञ्चार माध्यमको टावर जडान तथा नविकरण गर्दा ताकिएको दरमा ५० प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ। | ४०००। | |

नोट: प्रदेश नं ५ ले जारी गरेको प्राइवेट फर्म दर्ता ऐन, २०७६ बमोजिम स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यावसायको हकमा सोही कानूनमा उल्लेख भएबमोजिमको दस्तुर लिई व्यावसाय दर्ता, नविकरण तथा अद्यावधिक गरिनेछ।

अनुसूची-५
(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको दर

यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाख, छाला, जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरेबापत देहायबमोजिमको कर लगाइनेछ ।

तपसिल:

| सि.नं. | कवाडी सामग्री प्रकृती | दर | कैफियत |
|--------|--|-------|--------|
| १ | बियर वोत्तल, मदिरा सि.सि. प्रति थान | ०।५० | |
| २ | चुरा, फुटेको सिसा(सादा)। रङ्गिन, प्लास्टिक जन्य पदार्थ, कागज जन्य पदार्थ प्रति के.जी. | ०।५० | |
| ३ | फलाम वा फलाम जन्य वस्तु प्रति के.जी. | १।०० | |
| ४ | हाड, सिगां तथा खुर(रागाँ, भैशर तथा खसी आदी पाल्तु जनावरको प्रति के.जी. | २।५० | |
| ५ | छाला(रागाँ, भैशीको)प्रति के.जी | २५।०० | |
| ६ | छाला(खसि,बोका) प्रति के.जी. | १०।०० | |
| ७ | अन्य | ५०।०० | |

अनुसूची-६
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
सवारी साधनको कर

क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

| १. | सवारी साधन : | आ.व. २०७७/०७८ को दर |
|----|---|---------------------------|
| | न.पा. क्षेत्र भित्र रहेका प्रत्येक सवारी साधनहरूको सूचि तयार गरि निम्न अनुसार वार्षिक कर लिईने छ । रिक्साको हकमा दर्ता, नामसारी र नविकरण शुल्क लिईनेछ । | |
| | सवारी साधनको (१.१.४.२) वार्षिक कर | |
| | क) अटो रिक्सा दर्ता रु. ५००।- नामसारी रु १५०।- ईरिक्सा: दर्ता रु.५००।- नामसारी रु. १५०।- | |
| | ग) ई-रिक्सा(वार्षिक कर) नविकरण | १०००।- |
| | घ) अटो रिक्सा(वार्षिक कर) नविकरण | १५००।- |

अनुसूची-७
(दफा ८ सँग सम्बन्धित
विज्ञापन करका दरहरु

| क्र. सं | विवरण | इकाई | दररेट रु. |
|---------|---|--------------------------------|-----------|
| १ | अन्य वस्तुको विज्ञापनमा | प्रति वर्ग फिट | ५०/- |
| २ | व्यानर सार्वजनिक स्थानमा | प्रति वर्ग मिटर ७ दिन सम्म | ७/- |
| ३ | व्यानर सार्वजनिक स्थानमा | ७ दिन पछि प्रति दिन | ५/- |
| ४ | १ मिटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन | १ महिना सम्म प्रति दिन | १/- |
| ५ | १ मिटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन | १ महिना भन्दा बढी राख्नु परेमा | २/- |
| ६ | सार्वजनिक स्थानहरुका होर्डिड बोर्ड | प्रति स्वाकर फिट | ७०/- |
| ७ | निजी स्थानहरुका होर्डिड बोर्ड तथा डि.पि.एस.बोर्ड | प्रति स्वाकर फिट | ५०/- |
| ८ | व्यवसायीक भित्तेलेखनमा | प्रति स्वाकर फिट | ५/- |
| ९ | विद्युतीय पोल वा टेलिफोन को पोलमा राखिने विज्ञापन सामाग्री | प्रति स्वाकर फिट | ४०/- |
| १० | व्यवसायीक परिचयको लागी बढीमा ४ फिट गुणा १ फिट सम्मको बोर्ड मात्र राख्न पाइने छ। सो भन्दा ठुलो बोर्ड राख्नु परेमा नगरपालिकाको स्वीकृती लिनुपर्ने कुनै उत्पादन को विज्ञापन सहितको व्यवसायिक परिचय तोकिएको भन्दा ठुलो आकारको बोर्ड आकारको बोर्ड राखिएमा अन्य होर्डिडबोर्ड सरह नै दोश्रो पक्षले कर रकम असुल गर्न सक्ने छ। | | |
| ११ | सार्वजनिक र निजी स्थानमा तुल व्यानर | प्रति हप्ता | १००/ - |
| १२ | सार्वजनिक स्थानमा गेट सार्वजनिक स्थानमा गेट लगाउन नगरपालिकाको स्वीकृती नलिई लगाउन पाउने छैन पाइने छैन। | प्रति हप्ता | २०० /- |

क) सूतिजन्य र मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन प्रतिवर्ग फिट रु १००।-

ख) अन्य वस्तुको विज्ञापनमा प्रति वर्ग फिट रु १०।-

ग) व्यानर सार्वजनिक स्थानमा प्रति वर्ग मिटर ७ दिनसम्म रु ७ सो पछि प्रतिदिन रु १।-

घ) १ मिटर र १ वर्ग फिट सम्मको विज्ञापन १ महिना सम्मको प्रतिदिन रु १ र सो भन्दा बढी राख्नु परेमा प्रतिदिन रु २।-

ङ) आफ्नो व्यवसाय परिचयको लागि ११स्क्वायर फिट सम्म १ थान बोर्ड व्यवसायीले आफ्ना पसल वा व्यवसाय रहेको भित्ता पर्खाल वा अगाडिको भागमा राख्न पाउनेछन् र १ भन्दा धेरै बोर्ड राख्नुपरेमा माथिको दररेटमा सम्बन्धित व्यवसायीले विज्ञापन कर वापत बुझाउनुपर्नेछ।

अनुसूची-द
मनोरञ्जन कर
(क्षेत्र र दर नतोकीएको)

अनुसूची-९

(दफा ९ सँग सम्बन्धित)

बहाल विटौरी शुल्कका दरहरु

(क) नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा आफूले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेको हाट वजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसल स्थापना गर्न दिए वापत प्रति वर्गफूट मासिक रु १/०० बहाल विटौरी कर असुल गरिने छ।

आ.व. ०७७०७८ को लागि बैठकी करको दररेट

| क्र.सं. | सामानको नाम | दर |
|---------|---|--------------------|
| १. | किराना पसल | ६०१०० |
| २. | विसात पसल श्रृगार सामान | ७०१०० |
| ३. | फलफूल तथा कृषि उत्पादन बस्तुहरु (थोक) | |
| | क) टाएर गाडामा आएको | १००१०० |
| | ख) जिपमा आएको | ३००१०० |
| | ग) ट्रकमा आएको | ७००१०० |
| | घ) साइकलमा आएको | ४०१०० |
| | ड) डोको/खाचामा आएको | ३०१०० |
| ४. | हरीयो साग सब्जी फूटकर पसल | ३०१०० |
| ५. | थान कपडा पसल | ५०१०० |
| ६. | तयारी पोशाक पसल | ५०१०० |
| ७. | चूरो पोते पसल | ४०१०० |
| ८. | जुता चप्पल पसल | ४०१०० |
| ९. | डोको/सूपो प्रति भारी | ३०१०० |
| १०. | फलफूल पसल | ४०१०० |
| ११. | प्लाष्टिक भाडा पसल | ४०१०० |
| १२. | सानो काटा | ६०१०० |
| १३. | खाने तोरीको तेल पसल | ४०१०० |
| १४. | मिठाई पसल | ६०१०० |
| १५. | ज्ञाता/कुकुर/स्टोभ मर्मत तथा जुत्ता सिलाउने पसल | ३०१०० |
| १६. | कपाल काटने नाई पसल | ५०१०० |
| १७. | बदाम पसल | ३०१०० |
| १८. | विउ विजन पसल | ४०१०० |
| १९. | फलामको औजार पसल | ४०१०० |
| २०. | जिउदो हांस/कुखुरा प्रति गोटा | १०१०० |
| २१. | जिउदो पेरेवा प्रति जोडि | १०१०० |
| २२. | धातूको भाडापसल | ५०१०० |
| २३. | प्रचार प्रसार /विज्ञापन सामाग्री | १००१०० देखि २००१०० |
| २४. | आलु पियाज पसल | ५०१०० |
| २५. | धातूको गहना पसल | ३०१०० |
| २६. | जिउदो खसी प्रति गोटा | ७५१०० |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| २७. | इलेक्ट्रोनिक पसल | ५०१०० |
| २८. | चाउमिन/म:म पसल कुर्सि राखेर बेच्ने) | प्रति कुर्सि १०१०० |
| २९. | चाउमिन पसल कुर्सि नराखेर बेच्ने) | ५०१०० |
| ३०. | चाट/चटपट ठेला | ५०१०० |
| ३१. | कुचो पसल | ३०१०० |
| ३२. | विभिन्न सामाग्रीहरु मर्मत गर्ने पसल | २०१०० |
| ३३. | भेलि पसल | ३०१०० |
| ३४. | भुजा चिउरा पसल | २०१०० |
| ३५. | टपरी र पात पसल | ४०१०० |
| ३६. | माटोको भाडा पसल | ३०१०० |
| ३७. | जादू चटके | २००१०० |
| ३८. | स्टलको प्रति कवल | ८०१०० |
| ३९. | माथि उल्लेख भएको हकमा जुन बढी हुन्छ सोहीनुसार असुली गरिनेछ । | |
| ४०. | अन्य व्यापारीको वाट कारोवारको स्तर हेरी रु.५१०० देखि रु. ५०१०० सम्म | |

(ख) पाडा वजार

| सि.नं. | विवरण | इकाई | दर |
|--------|-----------|------------|--------|
| १ | लैनो भैसी | प्रति गोटा | ४००१०० |
| २ | रांगा | प्रति गोटा | २००१०० |
| ३ | पाडा | प्रति गोटा | १५०१०० |

(ग) जरिवाना

| सि.नं. | विवरण | इकाई | रकम (पहिलो पटक) | पटके |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|--|
| १ | ट्रेक्टर | प्रति सवारी | १५०००१- | प्रतिपटक जरिवाना रकममा २५ प्रतिशत रकम थप हुदै जाने |
| २ | टिप्पर | प्रति सवारी | २५०००१- | प्रतिपटक जरिवाना रकममा २५ प्रतिशत रकम थप हुदै जाने |
| ३ | जे.सी.भि/स्काभेटर | प्रति सवारी | ५००००१- | प्रतिपटक जरिवाना रकममा २५ प्रतिशत रकम थप हुदै जाने |

नोट: सरकारी, सार्वजनिक वन जङ्गल तथा खोलानालामा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा, माटो लगायतका नदिजन्य पदार्थ अनाधिकृत उत्खनन, सँकलन, चोरी निकासी गर्ने गराउने कार्यमा प्रयोग हुने देहायका सवारी साधनलाई देहाय बमोजिम जरिवाना असुल उपर गरिनेछ । सुरक्षा निकाय तथा व्यक्ती, सघंसस्थाले चोरी निकासी सम्बन्धी कार्यमा संलग्न साधनहरु नियन्त्रण गरी नगरपालिकामा बुझाउन ल्याएमा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईने छ र प्रदेश कानूनले नतोकेको अवस्थामा जरिवाना रकमको २० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ ।

अनुसूची-१०
(दफा १० सँग सम्बन्धित)
पार्किङ शुल्कको क्षेत्र र दरहरु

| क्र.सं. | नाम | इकाई | दर |
|---------|--|-------------|------|
| | बसपार्क (पार्किङ शुल्क) | | |
| १ | ठूला बस | प्रति बस | ४०/- |
| २ | मिनि बस र माईक्रो बस | प्रति सवारी | ३०/- |
| ३ | ई-रिक्सा/टेम्पो (नगरपालिकामा दर्ता नभएको हकमा) | प्रति सवारी | २०/- |

अनुसूची-११

(ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ्ग, बन्जि जम्पीङ्ग लगाएतका क्षेत्र र दर नतोकिएको)

अनुसूची-१२
(दफा ११ संग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क र दस्तुरका दरहरु

१२(क)

| | | नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट लगाउने शुल्क दस्तुरका क्षेत्र र दरहरु देहाय अनुसार लिईनेछ । | दर रेट |
|----|----|--|----------------|
| १ | | दस्तुर : | |
| क. | | निवेदन दस्तुर (१.३.१) | १०१ |
| | | प्रचलित ऐन नियम अनुसारको नगद लिईने छ । | |
| ख. | | सिफारिस दस्तुर (१.३.२) | |
| | १. | नागरिकता र नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | १००१ |
| | २. | स्वदेशको लागि गरिने सामान्य सिफारिस | २००१ |
| | ३. | वकस पत्र सट्टा पट्टा आदि प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिसमा घर भएको नभएको जग्गा को मूल्यांकनको आधार वर्ष ०७६।७७ | ०.०५% |
| | ४. | जग्गा वालाको मृत्यु पछि नामसारी प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयलाई गरिने सिफारिसमा | रु.५००१ |
| | ५. | वैदेशिक सिफारिस र पेन्सन सिफारिस | ५००१ |
| | ६. | वैदेशिक सिफारिस अंग्रेजीमा | ५००१ |
| ग) | | बैकिङ्ग प्रयोजनको लागि चौकिल्ला प्रमाणित अन्य समेत | २००१ |
| | १. | घर/गोठ/बाटोको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्यांकनको दररेट अनुसार आधार वर्ष ०७६।७७ | ०.५% |
| | २. | संरचनाको हकमा मूल्याडकन गर्दा सम्पत्ती करको संरचनाको मूल्याडकन दर अनुसार गरिनेछ । | |
| | ३. | जग्गाको घर/गोठ/बाटो सिफारिस गर्नु पूर्व अनुमति दिदा (मापदण्ड पुरा भएका नयाँ प्लटिङ्गको हकमा) प्रति कठ्ठा | ५०००१- |
| | ४. | जग्गाको घर/गोठ/बाटो सिफारिस गर्नु पूर्व अनुमति खेती योग्य जमिनको हकमा प्रति कठ्ठा | २०० |
| | ५. | घर कायम सिफारिस प्रति तला | २००१ |
| घ) | १. | मिलापत्र दस्तुर बक्स्यौनी | ५०० |
| | २. | लिखत पारित गर्दा | २००१- |
| ङ) | | बसोवास, जन्म, मृत्यु, उमेर, नाम छुट, प्रमाणीत | २००१- |
| च) | | नाता प्रमाणित | २००१ |
| छ) | | ठेक्का अनुभव प्रमाणीत | २०००१ |
| ज) | | पानी, बिजुली सिफारिस | २००१ |
| झ) | | बन्द घर खोल रोहबर बस्दा | ५००१ |
| ञ) | | निजी प्रयोजनमा नापजाँचको लागी अमिन फिल्ड निरिक्षण | ५००१ |
| ट) | | थ्रि फेस लाइन जडान २० हर्ष पवर | १०००१ |
| ठ) | | थ्रि फेस लाइन जडान २० हर्ष पावर भन्दा माथी | २०००१ |
| ड) | | जग्गा दर्ता सिफारीस (मालपोतको मुल्याङ्कनको आधारमा) | २.१ प्रतिसत |
| ढ) | | संघ संस्था दर्ता अनुमती | १०००१- |

| | | | |
|----|---|---|--------------|
| ण) | | अन्यत्र घर भै यहा बाट सेवा प्रवाह गर्दा थप | ३००१- |
| त) | | जे.सी भी भाडामा न.पा अनुदानमा कार्य गराउदा यन्धन वाहेक प्रति घण्टा | १०००१- |
| थ) | | जे.सी भि भाडामा उपभोक्ता भन्दा बाहिर अन्य प्रयोजनकोलागि इन्धन वाहेक प्रति घण्टा | १५००१- |
| द) | | प्रमाणित सिफारिस | २००१ |
| ध) | १ | शिक्षक नियुक्ति समर्थन मा.वि. | १०००१ |
| | २ | शिक्षक नियुक्ति समर्थन नि.मा.वि. | ७००१ |
| | ३ | शिक्षक नियुक्ति समर्थन प्रा.वि. | ५००१ |
| | ४ | लेखापाल नियुक्ति समर्थन | ३००१०० |
| | ५ | स.का./ सा.प../ का.स. | २००१०० |
| न) | | अपांग राहत/आर्थिक अवस्था कमजोर/औषधोपचार सम्बन्धि सिफारिस | नि: शुल्क |
| प) | | कन्सुलर प्रमाणित प्रति पेज | १०० |
| फ) | | संघ संस्था नविकरण सिफारिस | ५०० |
| ब) | | घरेलु उद्योग सिफारिस | ५०० |
| भ) | | यस न.पा.को क्षेत्र भित्रको घर जग्गाको मूल्यांकनमा शिक्षा तथा स्वस्थ सम्बन्धि विकास गरेको मूल्यांकन गर्दा (वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीको आय श्रोत प्रमाणित) | ०.१२ प्रतिशत |
| म) | | अपांग राहत/आर्थिक अवस्था कमजोर/औषधोपचार सम्बन्धि सिफारिस | नि:शुल्क |
| य) | | नीजि जग्गाको रुख कटानको सिफारिस गर्दा (प्रति रुख) | २०० |
| र) | | अन्य सिफरीस | २०० |
| | | | |
| ल) | | सर्जिमिन दस्तुर | |
| | १ | नाता प्रमाणित र नामथर शंशोधनको लागि सर्जिमिन | ५००१ |
| | २ | नागरिकताको सर्जिमिन | ५००१ |
| | ३ | अन्य | ५००१ |
| | ४ | उद्योग ठूला | १००००१ |
| | ५ | उद्योग मझौला | ७५००१ |
| | ६ | उद्योग साना | ५०००१ |
| | ७ | घरेलु उद्योग | ५००१ |
| | ८ | कृषि, पशु संग सम्बन्धित समूह, फर्म वा उद्योग दर्ता सिफारिस | १००१ |
| | | | |

१२.(ख): नक्सा पास दस्तुरको हकमा :

| सि.नं. | विवरण | पक्की |
|--------|---|-------|
| १ | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र क लोकमार्गको दाया वायाँ | ८.० |
| २. | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ख त्रीवेणी सडकको दाया वाया | ७.० |
| ३. | आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ग शाखा सडकहरुको दायाँ वायाँ (चिसापानी-मझौनी सडक, भुताहा-महेशपुर सडक, बाढिपिडित-पालडाँडा सडक, जिमिरेभार कुकुरमारा सडक, अन्य शाखा कालोपत्रे सडक), हुलाकी सडक | ६.० |
| ४. | आवासीय शाखा बाटो घ का दायाँ वायाँ(प्लटिंग) | ५.० |
| ५. | कम्पाउण्डको हकमा | |
| | (क) पक्कि कम्पाउण्ड | ५.० |

| | | |
|-----|--|-----|
| ६. | नक्सा नामसारी प्रतिवर्ग फिट निर्माणाधिन अवस्थामा | ५.० |
| ७ | आवासीय घरमा ट्रेस राख्ने खुला प्रति वर्ग फिट | २.० |
| ८ | आवासीय घरमा ट्रेस राख्ने कोठा निकाल्ने लोकमार्ग र त्रीवेणी सडकमा | ५.० |
| ९ | आवासीय घरमा ट्रेस राख्ने कोठा निकाल्ने अन्य सडकको हकमा | ४.० |
| १० | व्यापारिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र क लोकमार्गको दायाँ वायाँ | २.० |
| ११. | व्यापारिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ख त्रीवेणी सडकको दायाँ वायाँ | २.० |
| १२ | व्यापारिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ग शाखा सडकहरुको दायाँ वायाँ (चिसापानी-मभौनी सडक, भुताहा-महेशपुर सडक, बाढिपिडित-पाल्डाँडा सडक, जिमिरेभार कुकुरमारा सडक, अन्य शाखा कालोपत्रे सडक), हुलाकी सडक | २.० |
| १३ | व्यापारिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय शाखा बाटो घ का दायाँ वायाँ(प्लटिंग) | २.० |
| १४ | व्यापारिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर कृषि सडकका ड दायाँ वायाँ | २.० |
| १५ | औद्योगिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र क लोकमार्गको दायाँ वायाँ | १.० |
| १६ | औद्योगिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ख त्रीवेणी सडकको दायाँ वायाँ | १.० |
| १७ | औद्योगिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र ग शाखा सडकहरुको दायाँ वायाँ (चिसापानी-मभौनी सडक, भुताहा-महेशपुर सडक, बाढिपिडित-पाल्डाँडा सडक, जिमिरेभार कुकुरमारा सडक, अन्य शाखा कालोपत्रे सडक), हुलाकी सडक | १.० |
| १८ | औद्योगिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर आवासीय शाखा बाटो घ का दायाँ वायाँ(प्लटिंग) | १.० |
| १९ | औद्योगिक प्रयोजनको लागि ट्रेस निर्माण दस्तुर कृषि सडकका ड दायाँ वायाँ | १.० |
| | नोट: | |
| | क) ईजाजत नलिई निर्माण कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन आएमा नक्सा पास दस्तुरको तिन गुना सम्म थप दस्तुर लाग्ने छ । | |
| | च) नक्सा पास गरिसकेपछि २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने छ । यदि सोही अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा नक्साको म्याद थप गर्दा पहिले लागेको दस्तुरको ५ प्रतिशत दस्तुर लिई पुन २ वर्षको लागि म्याद थप गरिने छ । | |
| | संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यालय भवन तथा सामूदायिक विद्यालयका भवन निर्माण गर्दा नक्शा पास गर्नुपर्ने र नक्सा पास दस्तुर मिनाहा गरिनेछ । | |

पुनश्च: माथि उल्लेखित जुन सुकै क्षेत्रमा कृषि व्यावसाय सँग सम्बन्धित ट्रेस निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुर निःशुल्क गर्ने र सो वाहेकका अन्य माथि उल्लेखित क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा अनुमति नलिई १ चरणको घर निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाएको अवस्थामा निर्माण अनुमति माग्न आएमा निर्माण प्रक्रिया मापदण्ड बमोजिम रहेको अवस्थामा तोकिएको दस्तुरको थप ५० प्रतिशत दस्तुर लिई निर्माण अनुमति दिन सकिनेछ ।

आ.व.०७६।०७७ वा सो भन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा पेश भई अभिलेखिकरण हुन बाकी रहेका घरहरुको हकमा आ.व.०७६।०७७ मा तोकिएको दस्तुर वमोजिम घर अभिलेखिकरण दस्तुर लिईनेछ ।

१२.(ग) नक्सापास, नक्सा नामसारी र जरिवाना दस्तुर

| क्र.स | विवरण | रकम रु. |
|-------|---|--|
| १ | नक्सा दरखास्त फारम (किताव) | ५००।- |
| २ | नक्सा शंशोधन शुल्क | प्रति पटक रु १०००।- |
| ३ | नक्शापास मृत्यु पछि एकाघर परिवारमा नामसारी | रु. ७५०।- |
| ४ | नक्शापास जिवितै एकाघर परिवारमा नामसारी | रु. १०००।- |
| ५ | नक्शापास खरिद विक्रीमा नामसारी गर्दा | विद्यमान दस्तुरको ५०% |
| ६ | कम्पाउण्ड पर्खाल | प्रति रनिङ्गफिट रु ५।- |
| ७ | स्वीमिङ्ग पुल -प्रति वर्ग फिट | रु ५।- |
| ८ | स्थायी स्वीकृती नलिकन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा | नक्सापास दस्तुर बराबरको तेब्वर जरिवाना |
| ९ | स्थायी स्वीकृती भन्दा घरको क्षेत्रफल बढी बनाएमा | थप क्षेत्रफलको प्रति वर्ग फिट रु. १०।- |
| १० | नक्सा पास प्रतिलिपी प्रति पेज | ५०।- |
| ११ | घर नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी दस्तुर (प्रति तला) | ५००।- |

१२.(घ) हास कट्टको हकमा

| क्र.सं. | संरचनाको किसिम | प्रतिवर्ष/हास कट्टी दर (प्रतिशत) | हासकट्टी वर्ष |
|---------|--|-----------------------------------|---------------|
| १ | RCC फ्रेम स्टक्चर | १.३५ | ६० वर्ष |
| २ | माटोको जोडाई RCCछाना वा सिमेन्टको जोडाई र जस्ताको छाना | २ | ४० वर्ष |
| ३ | माटोको जोडाई जस्ता/टायलको छाना | २.७ | ३० वर्ष |
| ४ | ढुंगा वा इटाको पर्खालबाट बनेको घर | ३.२ | २५ वर्ष |
| ५ | अस्थायी कच्ची घर | ४ | २० वर्ष |

१२.(ङ) सरसफाई शुल्क (मासिक)

| क्र.सं. | व्यवसाय | विवरण | मासिक रु. |
|---------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| १. | रेष्टुरेण्ट तथा होटल एण्ड लज | होटल क श्रेणी (ए.सी. भएको) | ४५०।- |
| | | होटल ख श्रेणी (१० कोठा भएको) | ३५०।- |
| | | क श्रेणी लज | ३००।- |
| | | ख श्रेणी लज | ३००।- |
| २ | मासु विक्रि पसल | माछा/मासु पसल | |
| | | क श्रेणी | ४५०।- |
| | | ख श्रेणी | ३००।- |
| ३ | अस्पताल | अस्पताल/मेडिकल | |
| | | क श्रेणी अस्पताल समेतको | ५००।- |

| | | | |
|----|---------------------------|------------------|---------|
| | | ख श्रेणी | ३०० १- |
| ४ | पार्टी प्यालेस | | ५०० १- |
| १ | तरकारी तथा फलफुल पसल | क श्रेणी | २००१- |
| | | ख श्रेणी | १५०१- |
| ६ | हेयर कटिङ्ग सेन्टर | | १००१- |
| ७ | वर्कसप | | ३००१- |
| ८ | कवाडी डम्पिङ्ग | | ३००१- |
| ९. | अन्य व्यवसाय | सबै खाले व्यवसाय | २००१- |
| १० | ईट्टा भट्टा संचालन उद्योग | सबै खाले | ३५०००१- |

नगर सभाबाट अध्यक्षबाट प्रमाणित यो विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ वमोजिम प्रमाणित गर्दछु

प्रमाणिकरण मिति: २०७७/०३/१२